23/12/25

आज यह पत्रावली वकील अप्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र शीघ्र सुनवाई का प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। उपस्थित की बहस सुनी गई। प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली रिकॉर्ड शामिल मिसल किया नंबर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2025/561

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.29 12:19:09 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

सुनील सिंह बनाम अनिल आदि

किस्म मुकदमा:– 212 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्या:–239/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2025	आज यह पत्रावली वकील अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। वकील अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा बहस करने हेतु निवेदन करने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया गया कि प्रार्थी ने मोहनी पत्नी दलीप जाति जाट किशनपुरा से इकरारनामा दिनांक 27.09.2023 को भूमि वाके रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा संख्या 485 में 4.10 बीघा यानि 1.138 हैक्टर बारानी भूमि में से उत्तरी पासा में 100 फुट गुणा 40 फुट भूमि मोहनी छोड़कर शेष भूमि 1.100 हैक्टर बारानी भूमि (जिसके दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में पक्की सड़क, पश्चिम खाली भूमि) को 18,10,000/– रूपये में खरीद कर साई पेटे 12,00,000/–रूपये मोहनी को अदा कर कब्जा मौका पर प्राप्त कर लिया था। इकरारनामा की दिनांक से कब्जा काश्त प्रार्थी का लगातार बदस्तुर चला आ रहा है। मोहनी पत्नी दलीप पुत्र बलराम जाति जाट साकिन किशनपुरा ने उक्त भूमि वाके रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा संख्या 485 में 4.10 बीघा भूमि पन्नानाथ से जरिये इकरारनामा दिनांक 30.06.2006 को खरीद की थी। मोहनी के पति दलीप का देहान्त होने के उपरान्त उक्त भूमि मोहनी को विरास्तन प्राप्त हुई है। जिस पर मोहनी का कब्जा चला आ रहा है। मोहनी ने इकरारनामा के समय ही जैरवाद भूमि का कब्जा काश्त मौका पर उसी वक्त प्रार्थी को सम्भला दिया था। जैरवाद रकबा को प्रार्थी ने कड़ी मेहनत कर व भारी श्रम से काबिल काश्त बनाया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के रकबा पर कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रार्थी के रकबा में दखलदांजी करने का कोई अधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1–2 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए प्रार्थना मय हर्जाना खारिज करने हेतु निवेदन किया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ जैरवाद रकबा की जमाबंदी प्रस्तुत नही की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ईकरारनामा दिनांक 27.09.2023 मोहनी बहक सुनील सिंह से यह साबित हो रहा है कि टी0सी0 भूमि को बेचान कर ईकरारनामा किया हुआ हैं। जो कि काश्तकारी नियमों की उल्लघंना है। प्रार्थी को मोहनी द्वारा ईकरारनामा दिया गया हैं, जो कि स्वयं का [illegible] नही है। प्रार्थी द्वारा जैरवाद रकबा का कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे जैरवाद रकबा की वर्तमान स्थिति साबित हो [illegible] प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena Date: 2025.12.29 12:19:09 IST Reason: SelfAttested (भरत जयप्रकाश मीना) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	